न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला–बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या–454/2021
सरकार————बनाम————————विनय आदि।

दिनांकः 21.10.2023

निस्तारण प्रार्थनापत्र 20ए अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र 20ए अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध नयालय द्वारा धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 देज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप दिनांक 25.02.2021 को लगाया गया है तथा धारा 302/34 भा0दं0सं0 का वैकल्पिक आरोप लगना शेष रह गया है। उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 लगाये जाने की याचना की गई है।

उक्त पर बचावपक्ष की ओर से आपत्ति 21बी1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है इसलिए पोषणीय नहीं है। विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 25.02.2021 को आरोप लगाया गया। पत्रावली में पी0डब्लू01 सी0सी0 आकृति, पी0डब्लू02 मनोज, पी0डब्लू03 मुन्नी देवी, पी0डब्लू04 मुकेश कुमार व पी0डब्लू05 सुधीर कुमारी का बयान हो चुका है। अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अल्टरनेट आरोप लगाने का कोई विधि सम्मत आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। बचावपक्ष की ओर से अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण विनय व रामअवतार के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 302/34 भा0दं0सं0 का वैकल्पिक आरोप विरचित किए जाने की याचना की गई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 25.02.2021 को भा0दं0सं0 की धारा 498ए, 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया जा चुका है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34 भा0दं0सं0 का वैकल्पिक आरोप विरचित किए जाने से अभियुक्त को कोई **Prejudice** नहीं

Digitally signed by GULAM MUSTAFA
Date: 2023.10.21 15:05:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

होगा क्योंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व विरचित आरोप में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है बल्कि मात्र वैकल्पिक आरोप बनाया जा रहा है। अतः इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरूद्ध वैकल्पिक आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियोजन का प्रार्थनापत्र 20ए स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20ए अन्तर्गत धारा–216 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण विनय व रामअवतार के विरूद्ध वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 विरचित किया जाए।

दिनांकः 21.10.2023

(गुलाम मुस्तफा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा,बुलन्दशहर।

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।